भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4149
उत्तर देने की तारीख 26 मार्च, 2025

इंटरनेट एक्सचेंज नीति

4149. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या ***संचार*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान इंटरनेट विनियम नीति (आईएक्सपी) को औपचारिक रूप देने के बारे में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया है;
(ख) यदि हां, तो उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और इंटरनेट एक्सचेंज नीति के विकास के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा प्रस्तुत इंटरनेट एक्सचेंज नीति के बारे में प्रस्तावों पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार का इंटरनेट एक्सचेंज नीति की निगरानी के लिए औपचारिक नियामक प्राधिकरण शुरू करने का विचार है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) विभाग द्वारा ऐसा कोई अध्ययन/सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) ट्राई ने भारत में डाटा केन्द्र, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क और इंटरनेट एक्सचेंज की स्थापना के जरिये डाटा मितव्ययिता को बढ़ावा देने से संबंधित विनियामक फ्रेमवर्क के संबंध में की गई दिनांक 18.11.2022 की अपनी सिफारिशों तथा दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रदान किए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकार की निबंधन एवं शर्तों पर की गई दिनांक 17.02.2025 की सिफारिशों के माध्यम से इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट पर अपनी सिफारिशें प्रदान की हैं।

ट्राई की उपर्युक्त सिफारिशें वर्तमान में विभाग के विचाराधीन हैं। नीतिगत मामला होने के कारण लिए जाने वाले निर्णय के लिए एक विशिष्ट समय-सीमा बताना व्यवहार्य नहीं है।

*****